न किए गए किसी अन्य घटक के लिए अनुदान प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

तथापि, राज्य सरकार ने नई दिल्ली में अवस्थित अपने आवासीय आयुक्त और प्रमुख सचिव के माध्यम से 4 अगस्त, 1997 के फैक्स संदेश के अनुसार, ऊर्जा चालित उपकरणों, जिन्क, लौह, कैल्शियम, सल्फर आदि जैसे सूक्ष्म-पोषक तत्वों पर राजसहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। इस प्रस्ताव की जांच की गई थी परन्तु इन वस्तुओं को राजसहायता प्राप्त दरों पर वितरित करने के लिए राज्य को कोई अनुदान दिया जाना संभव नहीं पाया गया क्योंकि आई०सी०डी०पी० चावल की वर्तमान स्कीम के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

मध्य प्रदेश में दूध की आवश्यकता और उत्पादन

3251. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में दूध की कुल आवश्यकता और उत्पादन का वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जिला-वार कितनी-कितनी है;

(ग) क्या राज्य में दूध का पर्याप्त उत्पादन होता है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा दूध का उत्पादन बढ़ाने तथा दूध की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान दूध की आवश्यकता और उत्पादन निम्नानुसार है:—

वर्ष	दूध की आवश्यकता	दूध का उत्पादन (000 टन)
1995-96	5820	5125
1996-97	5928	5224
1997-98	6035	5330 (अनन्तिम)

जिलावार सूचना राज्य से एकत्र की जा रही है।

(ख) से (घ) राज्य में दूध की मौजूदा प्रति व्यक्ति उपलब्धता 154 ग्राम/प्रतिदिन है जो 220 ग्राम/प्रतिदिन की अनुशंसित पौषिक आवश्यकता से कम है। कम उत्पादकता का मुख्य कारण राज्य में वर्ण-संकर गोपशुओं की कमी, अपर्याप्त चारा उपलब्धता और खराब स्वास्थ्य देखभाल है।

(ङ) पशुपालन राज्य का विषय है। तथापि, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के प्रयासों की परिपूर्ति करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नानुसार हैं:—

1. हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी विस्तार और संतति परीक्षण कार्यक्रम।
2. राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम।
3. आहार और चारे के लिए राज्यों को सहायता।
4. राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना।
5. पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता।
6. गैर-ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में समेकित डेयरी विकास परियोजनाएं।

यह प्रत्याशा की जाती है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से दूध के उत्पादन में काफी वृद्धि होगी और दूध की कीमत में असामान्य वृद्धि को रोकने में मदद मिलेगी।

Declaration of Port of Vizhinjam as Port of Import

3252. SHRI J. CHITHARANJAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision over the request of Kerala Government to declare the Port of Vizhinjam as a 'Port of Import' under the "Plants, Fruits and Seeds (Regulation of Import to India) Order, 1989"; and

(b) what is the reason for the delay in taking a decision over this request?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) and (b) The Sea Port of Vizhinjam has been notified as entry point under the 'Plants, Fruits and Seeds (Regulation of Import to India) Order, 1989'.